

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा  
पीठारीन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 120/2019

सरकार बनाम 1. गोस्धनसिंह, नरायणसिंह, डूंगरसिंह,  
मोतीसिंह, पपासिंह वगैरे

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपटित नियम  
59,60,66,,86 भू-अभिलेख नियम 1970.

आदेश

दिनांक:-24 .12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम डोली कला राजगुरों के मूल खसरा नं 771 के तीन बट्टा न. 771, 911/771, 912/771 रकवा कमश 10.01, 20.01, 10.00 बीघा के है। नक्शे में इन तीनों खसरा नम्बर की तरमीम नहीं की हुई है। मौके पर मूल खसरा 771 का विभाजन जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बर अनुसार नहीं है। अतः संलग्न अतः परिशिष्ट 'अ' के कालम 8 से 12 अनुसार खसरे व खाते का एकीकरण करने का आदेश का निवेदन किया ।

विप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। बावजूद इतला विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 131, 136 के तहत राजस्व रेकॉर्ड में हुई किसी अशुद्धि को शुद्ध करने हेतु आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विभाजित खसरान का एकीकरण कर एक खसरा नम्बर एक खाता दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन किया गया जिसके कारण यह सारहीन है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक .24.12.2019 को सुनाया गया ।

(रोहित कुमार )

सहायक कलेक्टर  
(एसडीओ) बालोतरा

